

डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड  
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23(3) के अन्तर्गत  
संवर्गवार स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची  
(श्रेणी "घ" के कार्मिकों हेतु)

श्रेणी "घ"

(सहयोगी, डेरी विकास विभाग)

सहयोगी, डेरी विकास विभाग के सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची एवं उपलब्ध/संभावित रिक्तियों की सूची-

क्र० सं०	पात्रतासूची		
	कार्मिकों का नाम	वर्तमान तैनाती	अभ्युक्ति
1.	श्री महेश सिंह रावत	अल्मोड़ा	
2.	श्री नरेन्द्र प्रसाद	टिहरी	
3.	श्रीमती मिथलेश	देहरादून	
4.	श्री पंकज सिंह	निदेशालय	

सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध/संभावित रिक्तियों की सूची			
क्र० सं०	जनपद का नाम	कार्यालय का नाम	रिक्तियों की संख्या
1.	पिथौरागढ़	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01
2.	चम्पावत	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01
3.	पौड़ी	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01
4.	रूद्रप्रयाग	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01
5.	उत्तरकाशी	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01
6.	बागेश्वर	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01
7.	चमोली	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01

सहयोगी, डेरी विकास विभाग के दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची एवं उपलब्ध/संभावित रिक्तियों की सूची-

क्र० सं०	पात्रता सूची		
	कार्मिकों का नाम	वर्तमान तैनाती	अभ्युक्ति
1.	श्री चन्द्र शेखर पंत	बागेश्वर	
2.	श्री मनोज सिंह	चमोली	

दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध/संभावित रिक्तियों की सूची			
क्र० सं०	जनपद का नाम	कार्यालय का नाम	रिक्तियों की संख्या
1.	निदेशालय, हल्द्वानी	निदेशक, डेरी विकास विभाग	07
2.	देहरादून	संयुक्त निदेशक, डेरी विकास विभाग	02
3.	नैनीताल	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01
4.	हरिद्वार	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01
5.	अल्मोड़ा	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01
6.	ऊधमसिंहनगर	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01
7.	टिहरी	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01
8.	देहरादून	सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग	01

नोट:-यद्यपि उपरोक्त सूचना संकलन में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, तथापि सूची में दर्शायी गई सेवा अवधि में न्यूनाधिक व्यक्तिक्रम सम्भाव्य है। यदि किसी कार्मिक को आपत्ति है तो सक्षम प्रमाण सहित निदेशक, डेरी विकास, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।